न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकेती प्रकरण<u>कमांकः 60 / 2015</u> संस्थित दिनांक—27.07.2011 फाईलिंग नंबर—2303033005582011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

----<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- 1. भूरा उर्फ अशोकसिंह पुत्र जण्डैलसिंह गुर्जर उम्र 37 साल निवासी गुरीखा
- 2. रामकुमार पुत्र पुत्तूसिंह सोलंकी उम्र 37 साल निवासी एण्डोरी हाल सिंघवारी थाना मालनपुर

---<u>आरोपीगण</u>

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपीगण श्री आर0पी0एस0गुर्जर अधिवक्ता

—::—दोषमुक्ति आदेश —::— (अंतर्गत धारा—232 द०प्र०सं० 1973) (आज दिनांक 18.03.2016 को खुले न्यायालय में घोषित

- अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 394 भा०द०वि०, सहपिठत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.04.11 के शाम करीब छः बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र मालनपुर में नोवा फैक्ट्री के सामने आपस में मिलकर ट्रक क्रमांक—एच०आर०—38 एन—5709 के चालक अनिल कुमार से 10900/—रूपये और उसका द्वायविंग लायसेन्स की लूट कारित की और लूट कारित करने में स्वेच्छ्या उपहति भी कारित की।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 13.04.2011 को घटनास्थल नोवा फैक्ट्री के सामने मालनपुर में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम कमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि 13.04.11 को जब ट्रक कमांक-एच0आर0-38 एन-5709 का चालक अनिल कुमार अपने हैल्पर

नरिसम्हा के साथ सेवढ़ा से मालनपुर ट्रक लेकर एक दिन पहले दिनांक 12.04. 11 को आया था और ट्रक में बटर लोड कर दादरी के लिये जाना थ। तथा वह दोनों रात्रि में होटल पर चाय पी रहे थे तब दो लड़कों ने आकर अनिलकुमार की मारपीट की और उसकी जेब में रखे 10900/—रूपये छीन लिये तथा उसका द्वायविंग लायसेन्स लूट लिया और मारपीट की जिससे उसे माथे पर गूमड़ा हो गया जिसकी रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध नामजद प्र0पी0—4 की एफ0आई0आर0 थाना मालनपुर में कायम करते हुए अप0क0—42/11 धारा—394 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का पंजीबद्ध कर मामला अनुसंधान में लिया गया। एवं संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

- 4. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394 भा०द०वि० सहपिटत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। विचारण किया गया। चूंकि विचारण के दौरान घटना के महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी अनिलकुमार एवं बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी नरसिम्हा जो कि उसका हैल्पर था तथा जिस चाय के होटल पर वह चाय पी रहे थे, उस होटल वाली राजश्री जिसके द्वारा आरोपियों के नाम बताये गये थे, उन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाने और हर संभव तरीके से आहूत किये जाने के पश्चात भी उन्हें अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसके कारण मामले में आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव का बिन्दु विद्यमान हो जाने से और अभियोजन की साक्ष्य लेने, आरोपीगण की धारा—313 दप्रसं के तहत परीक्षा करने और उन्हें सुनने के पश्चात इस न्यायालय का ऐसा विचार है कि मामले में आरोपीगण के विरुद्ध संबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य नहीं आई है इसलिये धारा—232 दप्रसं 1973 के तहत यह दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जा रहा है।
- परीक्षित अभियोजन साक्षियों में से डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-2 ने अपने 5. अभिसाक्ष्य में दिनांक 14.04.11 को आहत अनिलकुमार का मेडिकल परीक्षण सी0एच0सी0 गोहद में करते हुए माथे और बांये गाल पर रगड व गर्दन में दर्द की शिकायत पाना बताते हुए प्र0पी0—2 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना बताया है। कथानक में आरोपी भूरा गुर्जर के द्वारा अनिल कुमार की गर्दन दबाते हुए हाथ में पहने हुए कड़े से उसे मारना बताया गया है। और रामकुमार के द्वारा उसे रोकना और द्वायविंग लायसेन्स छीनना बताया गया है। चिकित्सक द्वारा चोटें कड़ी व मौथरी वस्तू से आना बताते हुए छः घण्टे के भीतर की बताई हैं। घटना दिनांक 13.04.11 के शाम साढे छः बजे की बताई गई है। अनिल कुमार का मेडिकल परीक्षण डॉ० आलोक शर्मा द्वारा दिनांक 14.04.11 के 12.45 ए०एम० पर करना बताया गया है जिससे घटना के समय की चोटें होना तो चिकित्सीय साक्ष्य से प्रमाणित होता है किन्तू प्रकरण में आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षियों में से कोई भी परीक्षित नहीं हुआ है जो यह प्रमाणित कर सके कि आहत को उक्त चोटें आरोपी भूरा के द्वारा लूट में पहुंचाई गईं। तथा आरोपी रामकुमार के द्वारा आहत के कब्जे से 10900 / – रूपये और उसका द्वायविंग लायसेन्स लूटा गया था जिसमें लूटे गये नोटों में पांच पांच सौ के अठारह नोट एवं सौ सौ के उन्नीस नोट थे।

6. होटल चलाने वाली राजश्री की मॉ गंगादेवी को अ०सा0-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और पुलिस को प्र0पी0-1 का कथन देने से इन्कार किया है। इसी प्रकार घटना के दूसरे साक्षी नरेन्द्रसिंह अ०सा0-3 जिसे कि घटना के समय नोवा फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड बताया गया है उसने भी घटना देखने से इन्कार करते हुए आरोपीगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है और प्र0पी0-3 का कथन देने से इन्कार किया है। इसलिये उक्त साक्षियों से घटना के किसी बिन्दु को समर्थन प्राप्त नहीं है।

3

- घटना के विवेचक एस०डी०ओ०पी० आत्माराम शर्मा अ०सा०-४ जो कि 7. तत्कालीन थाना प्रभारी मालनपुर के पद पर पदस्थ था जिसने अनिलकुमार की मौखिक रिपोर्ट पर से प्र0पी0–4 की एफ0आई0आर0 आरोपीगण के विरूद्ध नामजद लेख करना बताया है तथा उसका मेडिकल परीक्षण कराना, प्र0पी0–5 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा आरोपी भूरा उर्फ अशोक की घटना दिनांक 13.04.11 को ही करना कही है। और उससे प्र0पी0-7 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करते हुए प्र0पी0–6 मुताबिक उसे 5400/– एवं पीतल के कड़े की जप्ती करना बताई गई है तथा अगले दिन दिनांक 14.04.11 को घटनास्थल का प्र0पी0–8 का नक्शामीका तैयार करना, आरोपी राजक्मार की प्र0पी0–9 द्वारा गिरफ़तारी करना, प्र0पी0–10 के द्वारा उसका धारा–27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना तथा उसके आधार पर प्र0पी0–12 के जप्ती पत्रक मुताबिक 5500/—रूपये और फरियादी के खयविंग लायसेन्स की जप्ती करना बताया है जो अभियोग पत्र का भाग बनाया गया है। किन्त् जिन साक्षियों के समक्ष उपरोक्त कार्यवाही करना बताई गई है उनमें से किसी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा आहत अनिल कुमार और नरसिम्हा तथा राजश्री की साक्ष्य के अभाव में विचाराधीन अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसलिये अ0सा0–4 के अभिसाक्ष्य से कोई बिन्दु प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। और आरोपीगण के विरूद्ध विरचित आरोप उपलब्ध साक्ष्य से ही प्रमाणित नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं आई है। ऐसे में आरोपीगण को धारा– 232 द०प्र०सं० 1973 के प्रावधान के अंतर्गत उक्त आदेशानुसार धारा 394 भा०द०वि०, सहपठित धारा—11 / 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- 8. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 9. प्रकरण में आरोपी भूरा उर्फ अशोक से जप्तशुदा राशि 5400 / रूपये एवं आरोपी रामकुमार से जप्तशुदा 5500 / रूपये अपील अविध उपरांत मामले के फरियादी अनिलकुमार पुत्र राजेश कुमार पाण्डे निवासी कल्याणपुर थाना कटघट जिला मुरादाबाद उ०प्र० को वापिस किये जावें। एवं उसके उपलब्ध न होने पर उक्त राशि राजसात कर शासकीय कोषालय में अपील अविध उपरान्त जमा की जावे। एवं जप्तशुदा एक पीतल का कड़ा व द्धायविंग लायसेन्स असल अपील अविध उपरान्त नष्ट किये जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

4 विशेष डकैती प्रकरण क्रमांकः 60 / 2015

10. निर्णय की प्रति डी०एम० भिण्ड को भेजी जावे। स्थान— गोहद जिला भिण्ड दिनांक— 18.03.16

> (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0